कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 08.09.2024

विषयः-घरों के ताले तोड़कर कीमती सामानों की चोरी करने वाले गिरोह का वांछित सदस्य थाना लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नेरट वाराणसी द्वारा कमिश्नरेट क्षेत्र में नकबजनी व चोरी की घटनाओं में दर्ज अभियोगों के सफल अनावरण एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी तथा माल बरामदगी हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी लंका के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.09.2024 को लंका पुलिस द्वारा जजेज गेस्ट हाउस सामने घाट के पास से अभियुक्त मो० फारुख उर्फ राजन उर्फ लादन S/O मो० अशरफ उर्फ टमाटर R/O B 32/98 A-1 नरिया थाना लंका वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना विवरणः-

1. दिनांक 25.03.2024 को आवेदिका श्रीमती प्रमिला देवी पत्नी श्री कपिलमुनि सिंह निवासिनी रत्नाकर विहार कालोनी, थाना लंका, कमि0 वाराणसी द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी कि दिनांक 24.03.2024 की रात्रि उनके घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा घर में रखे कीमती सामान चुरा लिया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0100/2024 धारा 457/380 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

2. दिनांक 26.03.2024 को आवेदक श्री हरिओम तिवारी निवासी कृष्णानगर सामने घाट, थाना लंका, कमि0 वाराणसी द्वारा थाने पर तहरीर दी गयी कि आवेदक की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर दिनांक 25.03.24 की रात्रि में उनके घर का ताला तोड़कर घर में घुसकर कुछ अज्ञात लोगो ने कीमती सामान चोरी कर लिया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 101/2024 धारा 457/380 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त पंजीकृत अभियोगों की जाँच एवं विवेचनात्मक कार्यवाही हेतु विवेचक नियुक्त करते हुए माल मुल्जिमान की तलाश हेतु थाना स्थानीय से टीम गठित करते हुए तलाश की जाने लगी। तलाश पतारसी सुरागरसी के क्रम में दिनांक 28.03.2024 को अभियुक्तगण छोटू तिवारी उर्फ राधेकृष्ण तिवारी S/O भानू प्रकाश तिवारी तथा अनिल मौर्या उर्फ कल्लू S/O भुल्लन मौर्या को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी के रुपये बरामद हुए तथा तीसरे अभियुक्त की तलाश में मुखबिर को सक्रिय करते हुए दबिश एवं पतारसी सुरागरसी प्रारम्भ की गयी। आज दिनांक 08.09.2024 को तलाश पतारसी सुरागरसी के क्रम में वांछित अभियुक्त मो० फारुख उर्फ राजन उर्फ लादन S/O मो० अशरफ उर्फ टमाटर R/O B 32/98 A-1 नरिया थाना लंका वाराणसी को गिरफ्तार किया गया।

<u>पूछताछ विवरण-</u>

पकड़े गए अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर बता रहा है कि साहब मैंने अपने अन्य दो साथियो छोटू तिवारी उर्फ राधेकृष्ण तिवारी S/O भानू प्रकाश तिवारी तथा अनिल मौर्या उर्फ कल्लू S/O भुल्लन मौर्या के साथ मिलकर रत्नाकर बिहार कालोनी सामने घाट व कृष्णानगर कालोनी में स्थित घरो में रात में ताला तोड़कर घर में घूस कर चोरी किये थे जिसमें प्राप्त रुपये छोटू तिवारी व अनिल मौर्या नें आपस में बांट लिए थे तथा जो गहने हमलोगों ने चुराए थे वो मैने बेचने के लिए अपने पास रखे थे जिनको बेचने के बाद मिले रूपये मैने खाने पीने व अपने शौक में खर्च कर दिए तथा उन्ही रुपयो में से मेरे पास 1950 रुपये बचे थे जो आपलोगों द्वारा बरामद कर लिए गए। साहब मुझे लगा था कि मेरे दोनों साथी पकड़े गए हैं, अब पुलिस मेरी तलाश नहीं कर रही होगी इसी गलतफहमी में पड़कर मैं शहर से बाहर निकलने की फिराक में था, लेकिन पकड़ा गया। साहब मुझे माफ कर दीजिए।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता</u>-

1. मो० फारुख उर्फ राजन उर्फ लादन S/O मो० अशरफ उर्फ टमाटर R/O B 32/98 A-1 नरिया थाना लंका वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष

<u>गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान</u>- दिनांक गिरफ्तारी 08.09.2024 को जजेज गेस्ट हाउस के पास सामने घाट, थाना क्षेत्र लंका, कमि0 वाराणसी।

<u>विवरण बरामदगी-</u>

अभियुक्त के कब्जे से चोरी के सामान की बिक्री से प्राप्त 1950 रुपये बरामद।

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरण-</u>

1. मु0अ0सं0 100/2024 धारा 457/380/411 भादवि0, थाना लंका, कमि0 वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 101/2024 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना लंका, कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. शिवाकान्त मिश्र, प्रभारी निरीक्षक थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 अभय गुप्ता, चौकी प्रभारी नगवा, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 राकेश कुमार यादव, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
4. हे0का0 अरविन्द राय, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
कार्यालय पुलिस उपायुक्त, जोन काशी
कमिश्नरेट वाराणसी